ई–मेल/निबंधित डाक

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7. सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611/2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक – ई०एल०एस०–10/2019– 4843 पटना, दिनांक 16 मई, 2019 ई0।

प्रेषक

एच० आर० श्रीनिवास,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषयः– **लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर 40– जमुई (अ0जा0) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 169– शेखपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में तृतीय मतदान कर्मी में प्रतिनियुक्त श्री अरविन्द कुमार, पिन सं0– 2506545, कार्यालय परिचारी, प्रखंड कार्यालय, बड़हिया, जिला– लखीसराय की मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रिता को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति दिये जाने के कारण उनकी पत्नी मो0 सुनैना देवी को ₹10,00,000/– (दस लाख रूपये) मात्र का अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

2. यह राशि मांग सं०–06, मुख्यशीर्ष 2015–निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष–0001–लोक सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय एवं विपत्र कोड 06–2015001050001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित राशि से विकलनीय होगी।
3. अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान की स्वीकृति वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–वि (27) पे0 को0–78/05–2796 वि0(2) दिनांक 01.04.2009, संकल्प सं0–वि0 (27) पे0को0–78/05–451 वि0 (2) दिनांक 09.04.2014 एवं संकल्प सं0–608 वि0 (2) दिनांक 07.05.2014 में निहित प्रावधान एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक–880/निर्वा० दिनांक 03.05.2019 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में दी जा रही है।
4. अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि का भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग सं०–06, मुख्यशीर्ष 2015–निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष–0001–लोक सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय एवं विपत्र कोड 06–2015001050001 के अन्तर्गत विभाग द्वारा आवंटित राशि से किया जायेगा।
5. स्वीकृत राशि का भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा स्व0 अरविन्द कुमार की पत्नी मो0 सुनैना देवी की उचित पहचान के उपरांत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।
6. जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, शेखपुरा, स्वीकृत राशि के भुगतान के पूर्व स्व० अरविन्द कुमार के आश्रितों से यह लिखित रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि स्व0 कुमार के आश्रितों को सरकार के अन्य किसी विभाग/उनके पैतृक विभाग से अनुग्रह अनुदान/बीमा की राशि प्राप्त नहीं किया गया है।

16/5
(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– ई०एल०एस०–10/2019– 4873 पटना, दिनांक 16 मई, 2019 ई0।

प्रतिलिपि :– पत्नी मो0 सुनैना देवी, पति– स्व0 अरविन्द कुमार, कार्यालय परिचारी, प्रखंड कार्यालय, बड़हिया, ग्राम– इन्दुपुर, पो0+थाना– बड़हिया, जिला– लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

16/5
(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– ई०एल०एस०–10/2019– 4873 पटना, दिनांक 16 मई, 2019 ई०।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा को निबंधित डाक द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– ई०एल०एस०–10/2019– 4873 पटना, दिनांक 16 मई, 2019 ई०।

प्रतिलिपिः– जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को स्पीड पोस्ट द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– ई०एल०एस०–10/2019– 4873 पटना, दिनांक 16 मई, 2019 ई०।

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि संबंधित जिला को स्वीकृत राशि के विरूद्ध शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जाये।

(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।